इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 553] भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 10, शक 1936

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. 807-2014-म-इकतीस.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषक संगठन नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 11 में, उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(1) कृषक संगठन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी सहकारी बैंक यथा—

जिला सहकारी सेन्ट्रल बैंक या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक में अपने नाम से एक खाता खोलेगा. खाता यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति (चेयरपर्सन) द्वारा तथा प्रबंध समिति द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य द्वारा तथा लघु, मध्यम और वृहद् सिंचाई परियोजनाओं की जल उपभोक्ता संथा तथा वृहद् सिंचाई परियोजना की वितरिका समिति तथा मध्यम सिंचाई परियोजना की परियोजना समिति की दशा में सहायक अभियंता द्वारा जबकि वृहद् सिंचाई परियोजना की परियोजना समिति के लिए कृषक संगठन से संबंधित कछार मुख्य अभियंता द्वारा यथानामनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री द्वारा खाते को संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा. कृषक संगठन का सक्षम प्राधिकारी समुचित वाउचर तथा प्राप्तियों के साथ रोकड़ बही (कैश बुक) और व्यय लेखाओं को संधारित करेगा.

(2) नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**16. अभिलेख, वस्तुएं तथा धन वसूलने की शक्ति.**—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 22 ज की उपधारा (2) के अधीन यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1)

के अधीन निदेशित किए गए अनुसार अभिलेख या वस्तु का परिदान या धन का भुगतान करने में असफल रहता है या उससे इंकार करता है तो समुचित प्राधिकारी उसे गिरफ्तार करवा सकेगा और प्ररूप 15 में वारंट के साथ, तीस दिन से अनधिक की कालावधि के लिए उसे सिविल जेल में परिरूद्ध किए जाने के लिए भेज सकेगा.

(3) प्ररूप 14 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाए, अर्थात् :—

प्ररूप—15

(नियम 16 देखिए)

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी, अधिनियम, 1999
(क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 22 ज की उपधारा (2) के अधीन वारंट

प्रति,

..... कारावास का भारसाधक अधिकारी,

यत: श्री ..... पुत्र श्री ..... निवासी ..... से, जो ..... जल उपभोक्ता संथा/वितरिका समिति/ परियोजना समिति से संबंधित पदाधिकारी/ अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी/ सहायक अभियंता/ कार्यपालन अभियंता की हैसियत से उक्त जल उपभोक्ता संथा/ वितरिका समिति/ परियोजना समिति का अभिलेख या धन, उसे पद से हटाए जाने/ निलंबन किए जाने/ पदत्याग किए जाने/ सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात् भी अपनी अभिरक्षा में रखे हुए हैं, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अभिलेख या धन जल उपभोक्ता संथा/ वितरिका समिति/ परियोजना समिति को तत्काल परिदत्त या संदत्त करने के लिए लिखित आदेश क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . . द्वारा अपेक्षित किया गया है किन्तु वह इस प्रकार निदेशित अभिलेख या वस्तु को परिदत्त करने में या धन संदत्त करने में असफल रहा है या उससे इंकार कर रहा है, तो उसे गिरफ्तार किया गया है तथा अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष लाया गया है, यह अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त ..... को अपनी अभिरक्षा में लें तथा उसे तीस दिन से अनधिक की कालावधि के लिए अथवा उक्त अभिलेख परिदत्त किए जाने तक या उक्त धन संदत्त किए जाने तक उसे सिविल जेल में परिरूद्ध रखें. न्यायालय एतद्द्वारा, उक्त ..... के इस वारंट के अधीन परिरोध के दौरान जीवन निर्वाह के लिए मासिक भत्ते की दर रुपये . . . . . प्रतिदिन नियत करता है.

आज तारीख . . . . . 20. . को मेरे हस्ताक्षर तथा इस न्यायालय की मुद्रा द्वारा दिया गया.

अनुसूची

जो लागू न हो उसे काट दें

समुचित प्राधिकारी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. धाकड, सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. 807-2014-म-इकतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 807-2014-म-इकतीस, दिनांक 1 दिसम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. धाकड, सचिव.

Bhopal, the 1st December 2014

No.807-2014-म-XXXI.—In exercise of the powers conferred by Section 43 of Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Farmers Organisation Rules, 1999, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) In rules 11, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The Farmers' Organisation shall open an acoount in a Nationalised Bank or a Co-operative Bank namely, the District Co-operative Central Bank or the Madhya Pradesh State Apex Co-operative Bank in its name. The account shall be operated jointly by the President or Chairperson, as the case may be, and one member as nominated by the Managing Committee and Assistant Engineer in case of Water User Association of minor, medium and major irrigation project, Distributory Committee of major irrigation project and Project Committee of medium irrigation project, while Executive Engineer for Project Committee of major irrigation project as nominated by basin Chief Engineer related to the farmers organization. The Competent Authority of the Farmers Organization shall maintain the cash book and accounts of expenditure with appropriate vouchers and receipts.

(2) After rule 15, the following rule shall be inserted, namely:—

"16. Power to recover records, articles and money.—Sub-section (2) of Section 22H of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), if any person fails or rufuse to deliver the record or article or pay the money as directed under sub-section (1), the Appropriate Authority may cause him to be apprehended and may send him with a warrant in Form 15, to be confined in civil Jail for a period not longer than thirty days.

(3) After Form-14, the following Form shall be added, namely:—

FORM—15
(See Rule 16)

Warrants under the sub-section (2) of Section 22-H of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999)

To,

The Officer-in-charge of the Jail at . . . . . .

Whereas Shri . . . . . Son of Shri . . . . . resident of . . . . . who in his capacity as an office bearer/officer/competent authority/Assistant Engineer/Executive Engineer concerned of the . . . . . Water User Association (WUA)/Ditributory Committee/Project Committee in his custody the record or money belonging to the said Water User Association/ Distributory Committee/ Project Committee after his removal/suspension/resignation/retirement from his office, has been required by a written order No. . . . dated . . . . . to deliver or pay the record or money specified in the Schedule below forthwith to the Water User Association/Distributory Committee/Project Committee but has failed or refused to deliver the record or article or pay the money so directed has been apprehended and brought before the Court in custody. This is to require you to receive the said . . . . . in to your custody and detain him in confinement in a Civil Jail for a period not longer than thirty days or till be delivers up the said record or pays the said money. The Court does hereby fix. . . . . per diem as the rate of the monthly allowance for the substance of, the said . . . . . during his confinement under this warrant.

Given under my hand and the seal of this Court this . . . . . day of . . . . 20 . .

SCHEDULE

(Strike out which is not applicable)

Appropriate Authority

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. S. DHAKAD, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.